

टायर फटने से श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, तीन दर्जन से अधिक यात्री घायल

दिल्ली से श्रद्धालुओं को लेकर जोबनेर स्थित ज्वाला माता मंदिर के लिए जा रही थी बस

पावटा, (निसं)। दिल्ली से जोबनेर ज्वाला माता के दर्शन करने जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस अचानक टायर फटने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में जाकर पलट गई। हादसे में करीब तीन दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। प्रांत जानकारी के अनुसार बस दिल्ली से श्रद्धालुओं को लेकर जोबनेर स्थित ज्वाला माता मंदिर के दर्शन के लिए जा रही थी। रास्ते में अचानक तेज गति से जा रही बस का टायर फट गया, जिससे चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया। बस तेज रफ्तार में डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी सड़क पर जा पलटी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि बस में आग नहीं लगी यदि ऐसा होता तो पास में ही सीएनजी पेट्रोल पंप था, जिससे यह हादसा विकराल रूप ले सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस पलटते ही आसपास के लोगों ने तुरंत राहत



हादसे के बाद मौके पर लोगों ने घायलों को बस से निकाला और अस्पताल पहुंचाया।

कार्य शुरू कर दिया और घायलों को बस से बाहर निकालने में मदद की। सूचना मिलने पर स्थानीय प्रांगणुरा थाना प्रभारी भजनाराम मय टीम मौके पर पहुंची। उपजिला अस्पताल की तत्परता से मौके पर 4-5 एंबुलेंस

पहुंची व घायलों को तुरंत उपजिला अस्पताल पावटा में भर्ती कराया गया, जहां पहले से तैयार उपजिला अस्पताल पावटा प्रभारी डॉ. रवि बंसल, डॉ. देवेंद्र शर्मा, डॉ. संतोष वर्मा, डॉ. दर्याम जाट व नर्सिंग स्टाफ

सहित पूरी टीम ने उनका उपचार किया। कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि दो सुभाष पुत्र रमेश व हीरादास निवासी दिल्ली की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल कोटपुतली रेफर कर दिया गया। वहीं

■ गनीमत यह रही कि बस में आग नहीं लगी, यदि ऐसा होता तो पास में ही सीएनजी पेट्रोल पंप था, जिससे यह हादसा विकराल रूप ले सकता था

उपखंड अधिकारी पावटा डॉ. साधना शर्मा व नायब तहसीलदार संजय खेदड़ ने उपजिला अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति का जायजा लेते हुए उनकी कुशलक्षेम पूछी व चिकित्सकों को उनके उपचार के दिशा निर्देश दिए। प्रांगणुरा थाना पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे बाद में पुलिस ने क्रैन की मदद से बस हटवाकर सुचारु कराया।

चौमूं में ट्रक और पिकअप में भिड़ंत, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल

चौमूं/कालाडेटा, (निसं)। चौमूं-रेनवाल हाइवे पर स्थित कानरपुरा के पास शनिवार को एक ट्रक और पिकअप गाड़ी में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में पिकअप में सवार करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये सभी लोग पिकअप में सवार होकर जोबनेर स्थित ज्वाला माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही कालाडेटा थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों को 108 एंबुलेंस व ग्रामीणों के निजी वाहनों की सहायता से कालाडेटा के

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया। घायलों का प्राथमिक उपचार कालाडेटा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी डॉ. सरदार सिंह यादव व अस्पताल के नर्सिंगकर्मचारी ने किया। वहीं गम्भीर रूप से घायल लोगों को हाई सेन्टर के लिए रेफर किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार, पिकअप वाहन चौमूं से रेनवाल की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रही पिकअप ने आगे

चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप में सवार कई लोग घायल हो गए और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और राहगीर जमा हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशकत के बाद पिकअप में फंसे घायलों को बाहर निकाला। कालाडेटा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गम्भीर रूप से 10 घायलों को रेफर किया गया बाकी लोगों को को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी।

अवैध मादक पदार्थ सहित कार जब्त, दो गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। टीडी एवं डीएसटी थाना पुलिस ने अवैध अफीम डोडा-चूरा व अफीम सहित कार जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीडी थानाधिकारी देवेन्द्रसिंह एवं स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुखबीर से मिली सूचना के आधार पर पाटिया में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित ढाबा के पीछे रिक्राये का मकान में धर्मचंद मोणा पुत्र गुलामा मोणा निवासी खेर की घाटी पट्टणा टीडी व नितेश उर्फ हितेश उर्फ चौंकु पुत्र औरकार गाडरी निवासी

बाउरड़ा खुर्द सतवाल थाना खैरोदा हॉल पाटिया टीडी गाड़ी के कब्जे से 11 प्लास्टिक के कट्टों में से 8 में अफीम डोडा-चूरा व तीन कट्टों में पीसा डोडा-चूरा 257 किलो 390 ग्राम, 10 प्लास्टिक की डिब्बियों में 120 ग्राम अफीम, अफीम पीसने की दो चिकिया, तीन इलेक्ट्रिक कांटे, दो मीस्कर ग्राइंडर, मशनी मय जा, प्लास्टिक थैलियां, डिब्बियां व कार ज्वल कर धर्मचंद, नितेश को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

दूल्हे प्रखर लाम्बा ने बिना दहेज शादी कर मिसाल पेश की

सुलताना, (निसं)। कस्बे में दूल्हे ने बिना दहेज शादी कर समाज के लिए एक मिसाल प्रस्तुत की है। ससुराल पक्ष से केवल एक रुपया और नारियल लेकर दुल्हन को विदा कराकर घर लाया। दूल्हे की इस फैसले की हर तरफ



दुल्हा प्रखर लाम्बा और दुल्हन श्रुतिक।

■ ससुराल पक्ष से शुगन के तौर पर केवल एक रुपया और नारियल लिया

तारीफ हो रही है।

जानकारी के अनुसार दुल्हे प्रखर लाम्बा ने गत 11 मार्च को सुलताना गांव के सुनील लाम्बा सुलताना के पुत्र व लीलाधर दहिया की बेटी श्रुतिका के साथ रचाए विवाह में शुगन के तौर पर एक रुपया और नारियल लेकर एक मिसाल कायम की है। सुलताना गांव के सुनील लाम्बा सुलताना के पुत्र प्रखर लाम्बा शुरु से ही लड़कियों को उच्च शिक्षा देने का हिमायती रहा है। साथ ही दहेज प्रथा, धुंध इच्छा को भांपते हुए बुराइयों का कड़ा विरोधी रहा है। जब उसके रिश्ते की बात कंकड़के खुर्द निवासी लीलाधर दहिया हाल निवासी झुंझुनू की पुत्री श्रुतिका के साथ चली तो उसने पहले ही दहेज न लेने की बात

स्पष्ट कर दी। दूल्हे डीआरएक्स प्रखर लाम्बा ने कहा कि एक उच्च शिक्षित व गुणवान युवती से उसका विवाह होना ही उसके लिए सबसे बड़ा दहेज होगा। प्रखर लाम्बा को इस बात से उसके पिता सुनील लाम्बा सुलताना भी राजी थे। दामाद की दृढ़ इच्छा को भांपते हुए लीलाधर दहिया भी बगैर दहेज शादी के लिए राजी हो गए। झुंझुनू के एक होटल में सादगी से संपन्न हुए प्रखर लाम्बा व श्रुतिका के विवाह समारोह में नवदंपती को आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या

में समाज के लोग भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रखर लाम्बा द्वारा बगैर दहेज शादी समाज के लिए गर्व की बात होने के अलावा एक मिसाल बन गई है। समाज में इस तरह की शादियां होना अच्छी पहल है। समस्त गांव सुलताना ने भी प्रखर लाम्बा की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि समाज का हर शख्स ऐसे निर्णय लेने लग जाए तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और किसी भी बाप को अपनी बेटियां बोझ नहीं लगेगी।

अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेंगी सैनिक स्कूलों की छात्राएं

■ प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षक, 18 तक मांगे आवेदन

निदेशालय ने इच्छुक शिक्षकों से आवेदन मांग लिए हैं। बालिका सैनिक स्कूलों में पदस्थापन के इच्छुक शिक्षक 14 मार्च से 18 मार्च रात 12 बजे तक शाला दर्पण विभाग में ही कार्यरत शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर 3 साल के लिए इन स्कूलों में लगाया जाएगा। दोनों स्कूलों में रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए शिक्षा

बोकांनेर, (निसं)। बालिका सैनिक स्कूल में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी। बोकांनेर और सीकर में बालिका सैनिक विद्यालय शुरू किए गए हैं। शिक्षा निदेशालय ने बोकांनेर और सीकर के दोनों सैनिक स्कूलों में शिक्षकों के पदस्थापन की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग में ही कार्यरत शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर 3 साल के लिए इन स्कूलों में लगाया जाएगा। दोनों स्कूलों में रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए शिक्षा

किया गया है कि हिंदी में संस्कृत विषय के शिक्षकों के लिए यह बाध्या नहीं रहेगी। हालांकि अंग्रेजी माध्यम में शैक्षणिक योग्यता रखने वाले को प्राथमिकता मिलेगी। बोकांनेर जिले के जयमलसर गांव में स्थित रामदेवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक स्कूल और सीकर के महाराज शेखाजी बालिका सैनिक स्कूल में 25 मार्च तक चयन परीक्षा का परिणाम घोषित होने की संभावना है। नया शिक्षा सत्र इन स्कूलों में भी 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा।

चिड़ावा तहसीलदार और गिरदावर पर केस दर्ज करने का आदेश

सुलताना, (निसं)। चिड़ावा स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाते हुए चिड़ावा तहसीलदार रामकुमार पूनियां और सुलताना गिरदावर अरूण सिंह के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी से कराने के आदेश भी पुलिस को दिए हैं। मामला 18 दिसंबर 2025 का है, जिस दिन श्रीअमरपुरा गांव में हाईकोर्ट और चिड़ावा तहसीलदार न्यायालय के एक पुराने बेदखली आदेश का हवाला देते हुए अधिवक्ता सचिन धनखड़ की खुद की जमीन को ही सरकारी जमीन बताते हुए प्रशासनिक कार्रवाई कर दी थी। आरोप है कि इस कार्रवाई के दौरान युवा अधिवक्ता

■ श्रीअमरपुरा गांव में मकान, बाड़ा और फसल तोड़ने के मामले में कोर्ट सख्त, कोर्ट ने मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी से कराने के आदेश भी पुलिस को दिए

सचिन धनखड़ के दो मकान, पशुओं का कच्चा बाड़ा और खेत में खड़ी फसल को अतिक्रमण मानते हुए नष्ट कर दिया गया बताया गया कि कार्रवाई के दौरान अधिवक्ता सचिन धनखड़ ने इसका विरोध किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें हटाकर कार्रवाई जारी रखी। ट्रैक्टर के जरिए फसल को नष्ट किया गया। जेलीबी के जरिए पक्का निर्माण तोड़ा गया। इसके बाद सचिन धनखड़ ने पुलिस थाने में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज

करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। अब कोर्ट में परिवाद दायर होने के बाद दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने सुलताना थाने में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामले की जांच चिड़ावा डीएसपी विकास धींधवाल को सौंपी गई है। परिवादी की ओर से दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पहले अतिक्रमण को लेकर को नोटिस दिया गया था, उसमें केवल

जमीन के किनारे बने बाड़ और डोले का उल्लेख था, जिन्हें हटा दिया गया था, लेकिन बाद में की गई कार्रवाई में बिना किसी नए नोटिस के दो कमरे, पशुओं का बाड़ा और फसल को भी नष्ट कर दिया गया, जबकि यह सब उनकी पैतृक जमीन में बना हुआ था। परिवादी ने यह भी आरोप लगाया है कि कार्रवाई के दौरान बार-बार बताने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की गई। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी पक्के निर्माण को ध्वस्त करने से कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है, जबकि इस मामले में ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है और मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

आक्रोशित ग्रामीण हमलावरों की गिरफ्तारी पर अड़े, पुलिस जाब्ता तैनात

उदयपुर, (कासं)। जिले के बाघपुरा थाना क्षेत्र सेलाणा गांव में आपसी कहासुनी के दौरान बदमाशों ने तलवार व चाकू से तीन युवकों पर हमला कर दिया, जिससे दो युवकों की मौत हो गई तथा एक युवक घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। इसके देख पुलिस बल मौके पर तैनात है। प्रांत जानकारी के अनुसार रिखावल निवासी सुरेश उर्फ सुखलाल गांव के आठ-दस लड़कों के शिक्षी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। जिससे

■ पुलिस ने सेलाणा निवासी मनीष सहित अन्य आरोपियों की पहचान कर दो आरोपियों को हिरासत में लिया

चौकड़ी गांव निवासी आशीष पीहर सेलाणा गई अपनी पत्नी अनीता पत्नी को मिलने के लिए शुक्रवार रात में सेलाणा गांव जा रहा था, जहां सेलाणा गांव के आठ-दस लड़कों के शिक्षी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। जिससे

बात बढ़ने पर लड़कों ने तलवार, चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिसके चलते सुरेश व भेरुलाल की मौके पर ही मौत हो गई तथा आशीष तथा बचाव में आए सेलाणा निवासी सुमित घायल हो गया, जिनका चिकित्सालय में उपचार जारी है। सूचना मिलने पर शनिवार सवेरे आक्रोशित ग्रामीण सेलाणा गांव में इकट्ठा हो गए। इसका पता चलने पर हमलावर व परिजन घर छोड़ कर भाग गए जहां मृतक के परिजनों ने प्रदर्शन कर 50 लाख रूपये मुआवजा, सरकारी नौकरी दिलाने एवं आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए तथा शव लेने से इनकार

कर दिया। घटना से क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेकसिंह राव, तहसीलदार, पटवारी बाघपुरा थानाधिकारी वेलाराम व झाड़ोल सर्कल की पुलिस जाब्ते सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर समझाइश करने में जुटे हैं। इस मामले में पुलिस ने सेलाणा निवासी मनीष सहित अन्य आरोपियों की पहचान कर ली है तथा दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

नकली डीआई बन मेडिकल स्टोर की जांच करने पर एक गिरफ्तार

नोहर, (निसं)। दहिया हॉस्पिटल के जयपुर मेडिकल स्टोर की जांच करते हुए धौंस दिखा रहे नकली डीआई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार उक्त युवक की पहचान हनुमानगढ़ के गांव दुधवा ठाणी निवासी अभिषेक पुत्र आदराम नायक के रूप में हुई है। आरोपी नायक का निहाल जसना क्षेत्र में बताया जाता है। आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक इंद्र सिधु पर धौंस झाड़ते हुए दुकान की जांच व निरीक्षण करवाने की बात कही। इस पर स्टोर संचालक ने परिचय आदि

पूछा तो आरोपी बोला कि मैं गंगानगर का डीआई हूं। यहां मानस अभियान के तहत मेरी ड्यूटी लगाई गई है। इसी के चलते मेरे को मेडिकल में दवाओं सहित अन्य कागजात की जांच करनी है। मेडिकल स्टोर संचालक की युवक की बातों पर शक होने के बाद युवक दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष रफीक चौहान, राजेश स्वामी आदि को सूचना दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर कथित डीआई से पूछताछ शुरू की तो पूरा मामला समझ में आ गया। नकली डीआई वने युवक को

जब हनुमानगढ़ के असली डीआई से फोन पर बात करवाई तो नकली डीआई ने ही धमकाना शुरू कर दिया। जिस पर जिला औषध कार्यालय ने पुलिस को सूचित कर आरोपी पर कार्रवाई करने की बात कही। सूचना मिलने पर कार्यवाहक थानाधिकारी पृथ्वीसिंह नरुका ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के अनुसार आरोपी युवक के पास डीआई की फर्जी आईडी भी पाई गई है।

बर्तन कारोबारी पर हमला

जोधपुर, (कासं)। सांगरिया फांटा के पास में 12 मार्च की रात को स्टील बर्तन कारोबारी पर दो तीन युवकों ने जानलेवा हमला कर उससे 80 हजार रूपए, मोबाइल लूट लिया। धारदार हथियारों से किए हुए हमले में कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मरा समझकर बदमाश भाग गए। घायल हो पहले एम्स फिर बासनी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। इस बारे में बासनी थाने में पार्टनर की तरफ से दो नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है। बासनी पुलिस ने बताया कि मूलतः जालोर जिले के डेडवा सांचोर हाल शंकरनगर, सांगरिया फांटा निवासी

अशोक विश्नेई की तरफ से मामला दर्ज कराया गया है। इसमें बताया कि वह रानीवाड़ा जालोर निवासी रमेश पटेल एवं कमलेश कुमार के साथ में पार्टनरशिप में स्टील बर्तन बनाने का काम करता है। वह लोग सांगरिया और आसपास के लोगों से ठेके लेकर कार्य करते हैं। 12 मार्च की रात में उसका पार्टनर रमेश पटेल बाइक लेकर रिको सांगरिया से अपने घर सांगरिया शंकर नगर की तरफ आ रहा था। तब विश्नेु होटल के पास में अब्दुल कादिर और मो. फैजान रजाने रास्ता रोका और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। उसकी जेब से 80 हजार रूपए और मोबाइल लूट कर ले गए।

हथियार बरामदगी मामले में बंबीहा गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार

हनुमानगढ़, (निसं)। हनुमानगढ़ पुलिस ने हथियार तस्करी और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। बंबीहा गैंग से जुड़े हथियार बरामदगी मामले में एजीटीएफ टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हरीशंकर ने बताया कि जिले में संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत एजीटीएफ टीम ने आर्म एक्ट के एक मामले में बांछित आरोपी विशाल कुमार

उर्फ भईया को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी विशाल कुमार उर्फ भईया अमृतसर (पंजाब) का निवासी है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, मारपीट और आर्म एक्ट सहित लगभग 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। अभियुक्त सुरजीत सिंह रेगुलर काम नहीं करने व घर खर्च नहीं चलने के कारण उस पर कर्जा हो रहा था। अभियुक्त मानसिक रूप से भी बहकी बहकी बातें कर रहा था। इस कारण वह कर्ज पत्नी के उलाहने से तंग आ गया। गत 11 मार्च की रात्रि को सरोज कंवर व उसकी पुत्री वंशिका कंवर अपने मकान की छत पर सो गईं तथा सुरजीत सिंह भी उनके पास ही सो गया और तड़के करीब 4 बजे के लगभग उसने अपने

पास से 11 पिस्टल और 22 मैगजीन बरामद की गई थी। इस मामले की जांच एजीटीएफ प्रभारी पुलिस निरीक्षक लखवीर सिंह कर रहे हैं। जांच के दौरान वह सामने आया कि बरामद हथियार विशाल कुमार उर्फ भईया ने ही मंगवाए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जिला कारागृह फिरोजपुर से प्रोडक्शन वॉरंट पर गिरफ्तार किया। पुलिस को अदालत से उसका रिमांड प्राप्त कर हथियारों की खरीद-फरोख और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है।

कोटा में 90 लाख का सोना लूट का फरार आरोपी जयपुर से गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। कैथूनीपोल थाना इलाके में वर्ष 2025 में सोना लूट के दर्ज मामले में फरार चल रहे आरोपी को शहर पुलिस की विशेष टीम ने जयपुर में गिरफ्तार किया है। फरार आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिये अपने निवास स्थान गंगपुर व पैतृक गांव भी आना-जाना बंद कर दिया था। शहर पुलिस टीम ने आरोपी सौरभ सोनी को जयपुर में एक मकान पर दबिश देकर डिटेन कर प्रकरण में गिरफ्तार किया। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वीनी गौतम ने बताया कि 2 जुलाई 2025 को फरियादी महेन्द्र कुमार ने कैथूनीपोल थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि इन्द्रा मार्केट में स्थित कमल ज्वैलर्स की दुकान पर काम करता है। रिपोर्ट में कहा कि उसकी शांण पर एक लड़का व लड़की

■ आरोपी पर 20 हजार की इनाम राशि घोषित थी, कैथूनीपोल थाने का वर्ष 2025 का मामला

■ फरार आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिये अपने निवास स्थान गंगपुर व पैतृक गांव भी आना-जाना बंद कर दिया था

पायल लेने के लिये आये थे, उन्होंने सोने के कड़े व अंगुठी मंगवाई जिसे स्वर्ण रजत मार्केट के लिये जाते समय लाया, लेकिन उन दोनों ने वह अंगुठी व कड़ा नहीं लिया, जिस पर दो डिब्बे सोने के कड़े व अंगुठी वापस देने के लिये अपनी शांण इन्द्रा मार्केट से स्कूटी पर स्वर्ण रजत मार्केट के लिये जाते समय मोहन टॉकिज रोड पर दो बाइकों पर सवार 5 जनों ने उसे रोककर चाकू दिखाकर स्कूटी जिसमें सोने के आभूषण

रखे थे, स्कूटी लेकर फरार हो गये। शहर एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। शहर एसपी ने कहा कि मामले में अनुसंधान करते हुए 11 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था, मामले के एक आरोपी सौरभ सोनी घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर संभावित स्थानों पर दबिश दी गई, फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 20 हजार के

संभरझरौल, (निसं)। मोखमपुरा पुलिस ने तालाब वाले बालाजी मन्दिर के पास कल्या बिचून में मां-बेटे की तलवार से हत्या करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी द्वारा महिला का तलवार से गला काटकर व लड़की का गला दबाकर हत्या की गई थी। इस मामले में मृतका के भाई भगवान सिंह द्वारा पेश रिपोर्ट पर हत्या की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश की गई। प्रकरण में आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू शिवलाल बैरवा व वृत्ताधिकारी रूद्र दूध खलखलवाल के निकटतम सुपरविजन में तथा थानाधिकारी मोखमपुरा सुरेश कुमार ने नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया

■ आरोपी ने महिला का तलवार से गला काटकर व लड़की का गला दबाकर हत्या की थी

गया। गठित टीम द्वारा आसूचना संकलन कर बांछित आरोपी को बिचून से डिटेन कर बाद अनुसंधान जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त एक तलवार भी जप्त की गई है। पूछताछ की गई तो मृतका सरोज कंवर उसकी पत्नी व मृतका वंशिका बेटी लगती है। आरोपी मोखमपुरा रोड बिचून में पतल डोने की फैक्ट्री में काम करता था। इसी दौरान उसके टीबी की बीमारी हो गई जिसके

कारण आरोपी बेरोजगार हो गया और टीबी का इलाज करने में कर्जा हो गया। अभियुक्त कर्जे के कारण अपने बच्चों की पढाई की फीस भी जमा नहीं करवा पाया। अभियुक्त द्वारा कई बार फैक्ट्री में काम पर नहीं जाने पर पत्नी मृतका सरोज कंवर द्वारा पति को उलाहना देती थी। अभियुक्त सुरजीत सिंह रेगुलर काम नहीं करने व घर खर्च नहीं चलने के कारण उस पर कर्जा हो रहा था। अभियुक्त मानसिक रूप से भी बहकी बहकी बातें कर रहा था। इस कारण वह कर्ज पत्नी के उलाहने से तंग आ गया। गत 11 मार्च की रात्रि को सरोज कंवर व उसकी पुत्री वंशिका कंवर अपने मकान की छत पर सो गईं तथा सुरजीत सिंह भी उनके पास ही सो गया और तड़के करीब 4 बजे के लगभग उसने अपने

बक्से में रखी धारदार तलवार निकालकर छत पर सो रही सरोज कंवर के गले पर तलवार से दो बार कर हत्या कर दी तथा पास में सो रही लड़की के भी तलवार की नोक से कान काट गया, जिससे लड़की के चिल्लाने लगी तो लड़की की आवाज को दबाने के लिए अभियुक्त द्वारा उसका भी गला दबाकर हत्या कर दी तथा करीब एक घण्टे तक दोनों लाशों के पास बैठा रहा। बाद में मौके से फरार हो गया था। पुलिस टीम ने अभियुक्त की पहचान कर उसको गिरफ्तार किया गया तथा वारदात में प्रयुक्त तलवार को घटनास्थल से जप्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी सुरजीत सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी बिचून थाना मोखमपुरा जिला जयपुर का रहने वाला है।